तारीख हुक्म	न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा, जिला–डूंगरपुर नियमित दाण्डिक प्र0सं0– 280/2026 राजस्थान राज्य बनाम कुन्दन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक : 06.03.2026

अभियोजन अधिकारी द्वारा थाना **चितरी** की ओर से प्रकरण संख्या **21/2026** धारा **185 एमवी एक्ट** में अभियुक्त/गैरसायल **कुंदन** के विरूद्ध पेश किया। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्तगण/गैरसायलगण आज न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता **श्री लोकेश कुमार पाठक** उपस्थित।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासा के साथ संकलित सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा **185 एमवी एक्ट** का संज्ञान लिये जाने के प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध होने से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक हो।

अभियुक्त को धारा **185 एमवी एक्ट** का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को स्वीकार किया एवं अंवीक्षा नहीं चाही। साथ ही लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया व प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री **कुंदन पिता रामसन डेण्डोर निवासी घोटाद थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)** को अपराध अन्तर्गत **185 एमवी एक्ट** में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

06/3

(हरिश मेनारिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाडा जिला डूंगरपुर

सजा व परिवीक्षा के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली और विधि का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और इस आशय का अभियुक्त ने शपथ–पत्र पेश किया है। गरीब ग्रामीण आदीवासी क्षेत्र का व्यक्ति है। अतः तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं।

अतः अभियुक्त की दोषसिद्धी में तत्काल किसी सजा से दण्डित नहीं कर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा **185 एमवी एक्ट** में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 03 का लाभ दिया जाकर सम्यक रूप से भर्त्सना व प्रताड़ना देकर छोड़ा जाता है। अभियुक्त को हिदायद दी जाती है कि वह भविष्य में अपराध की पुनावत्ति नहीं करें। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 के तहत **2000**/–रूपये बतौर अभियोजन व्यय जमा करायेगा।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो सुपुर्दगीदार के पास रहे तथा उसके सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की परिसीमा के अवसान के पश्चात् अपील नहीं होने की सूरत में स्वतः निरस्त समझे जावे।

अभियोजन व्यय की राशी जमा कराई जो जरिये जीआरएन संख्या **0119475283** दिनांक **06.03.2026** पर जमा की गई।

पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

06/3

(हरिश मेनारिया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सागवाडा जिला डूंगरपुर